संख्या- 748/2139/41-1-2024-1765392-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांक 10 सितम्बर, 2024

विषय:- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत **जनपद-झांसी के तहसील-गरौठा में मोंठ किला परिसर में पर्यटन विकास कार्य** हेतु स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3664/मु0प0वि0स0यो0/93-झांसी/2023, दिनांक 27 अगस्त, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत **जनपद-झांसी के तहसील-गरौठा में मोंठ किला परिसर में पर्यटन विकास कार्य** को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत **जनपद-झांसी के तहसील-गरौठा में मोंठ किला परिसर में पर्यटन विकास कार्य** हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-87/ 2024/146/41-1-2024-001-सी0एन0-1765392-2023, दि0- 02.02.2024 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3- कृपया प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-87/2024/146/41-1-2024-001-सी0एन0-1765392-2023, दि0-02.02.2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) को मय ब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. जिलाधिकारी, झांसी ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी(राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, झांसी मण्डल, झांसी ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।